संख्या-55/2016-3545/58-2016-263/2016

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2016**

विषय: **उद्यान विभाग के अधीन स्थापित राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा का जीर्णोद्वार करने एवं लखनऊ स्थित लोहिया पार्क के अनुरूप विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-155-56/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 07.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोंपरान्त उद्यान विभाग के अधीन स्थापित राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा का जीर्णोद्वार करने एवं लखनऊ स्थित लोहिया पार्क के अनुरूप विकसित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा के जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत आय-व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0-1500.00 लाख (रूपये-पन्द्रह करोड़) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अधोलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे

जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
<u>अनुदान सं0-10</u> <u>4406</u>-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112- सार्वजनिक उद्यान- 06- राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण 24-वृहद निर्माण कार्य	1500.00	1500.00
योग	**1500.00**	**1500.00**

(रूपये-पन्द्रह करोड़ मात्र)

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश सं0-2598/58-2016-290/2016, दिनांक 19.9.2016 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 सूडा इकाई, मथुरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना रू0-1867.82 लाख के आगणन प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त कुल धनराशि रू0-1593.30 लाख की कार्ययोजना का निम्नवत अनुमोदन स्तम्भ-4 में अंकित लागत विवरण के अनुसार प्रदान किया जाता है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	**मद का नाम**	**प्रस्तावित लागत**	**आकलित लागत**
1	**2**	**3**	**4**
1	माउन्डस	24.06	11.50
2	2.5 मी0 पाथ्-वे	271.15	261.41

3	प्रोमिनेड (Promenads)	1919.43	104.62
4	सेन्ट्रल स्क्वायर	183.86	186.14
5	सिटआउड परगोला 4 नग	11.36	11.36
6	टायलेट ब्लाक	21.27	21.09
7	पुष्प वाटिका	81.50	72.92
8	पवेलियन 6 नग	22.50	22.50
9	इन्ट्रेन्स प्लाजा	97.72	96.20
10	बेंच एवं डस्टबिन	9.53	8.57
11	साइनेज	6.65	6.65
12	आउड डोर जिम एण्ड प्ले इक्यूपमेन्ट	20.23	क्रमांक-26 पर
13	वाटर ए0टी0एम0	6.41	क्रमांक-27 पर
14	साउण्ड सिस्टम	9.91	क्रमांक-28 पर
15	फाउण्टेन	21.29	17.03
16	इलेक्टिकल फिक्चर्स	52.68	42.14
17	बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत	125.65	57.70
18	सिटिंग स्टेप्स	118.12	110.69
19	जोगिंग ट्रैक	67.23	63.63
20	इरीगेशन	162.34	141.17
21	हार्टीकल्चर	200.00	160.00
	योग	**1632.89**	**1377.32**
22	5 प्रतिशत की कमी	-81.64	-68.87
	योग	**1551.25**	**1308.45**
23	सेन्टेज चार्ज 12.5 प्रतिशत	193.91	163.56
24	लेबर सेस 1 प्रतिशत	17.45	13.08
25	सर्विस टैक्स	104.71	78.51
26	आउड डोर जिम एण्ड प्ले	0.00	16.18

	इक्यूपमेन्ट		
27	वाटर ए0टी0एम0	0.00	5.60
28	साउण्ड सिस्टम	0.00	7.92
	प्रोयोजना की कुल लागत	**1867.82**	**1593.30**

उक्त प्रायोजना के लागत विवरण के अनुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ की होगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) पीएफएडी की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण् अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-2 के बिन्दु-13(च) के अनुसार ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 40 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जायेगी। प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर निर्माण की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और दूसरी किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किशत निर्माणकार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी

की जाय। बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर की जाय।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव में रेड सैण्ड स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन, व्हाइट सैण्ड स्टोन एवं रबर फ्लोरिंग का प्रविधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

(10) प्रायोजना अन्तर्गत हार्टीकल्चर की लागत डी0सी0आर0/एक मुश्त आधार पर प्रस्तावित की गयी है। निर्माण से पूर्व हार्टीकल्चर का आगणन जनपद की अनुसूची दरों पर गठित किया जाय एवं गठित आगणन पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(11) प्रायोजनान्तर्गत आउट डोर जिम एवं प्ले इक्यूपमेन्ट, वाटर ए0टी0एम0, साउन्ड सिस्टम फाउण्टेन का प्रविधान कोटेशन/बाजार दर के आधार पर किया गया है। इनका परीक्षण इन्डेक्टिव दरें मानते हुए किया गया है क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(12) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) विवरणानुसार धनराशि रू0-1500.00 लाख के व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन/वित्त विभागद्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से कराया जायेगा।

(15) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(16) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(17) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय कार्ययोजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.3.2015 में निहित निर्देशों काक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(19) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबंध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(20) धनराशि व्यय करने के पूर्व भण्डर क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियम/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

3- उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-ई-1-552/दस-2016, दिनांक 28.12.2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या:-55/2016-3545(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) निजी सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
(5) जिलाधिकारी मथुरा।
(6) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) उप निदेशक उद्यान आगरा मण्डल आगरा।
(8) अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सूडा इकाई मथुरा।
(9) जिला उद्यान अधिकारी मथुरा।
(10) वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा।
(11) गोपन अनुभाग-1
(12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।